(ग) इन एककों की प्रबंध-व्यवस्था में भ्रष्टाचार रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग और लोक उद्यम विभाग) में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) केवल वर्ष 1990-91 तक की ही जानकारी उपलब्ध है और उक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले उद्यमों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि 109 उद्यमों ने कुल 3046 करोड़ रुपये का घाटा उठाया। इनमें से 54 विनिर्माणकारी उद्यमों को चिरकालिक रुग्ण उद्यम घोषित किया है और इन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपा जाना है ताकि इनके नवीकरण/पुनर्वास की योजनाएं बनाई जा सके। अन्य 13 उद्यम ऐसे हैं जो चिरकालिक रुग्ण तो हैं परन्तु उन्हें औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को नहीं सौंपा जाना है। इन उद्यमों के लिए नवीकरण योजना का निर्माण प्रशासनिक मंत्रालयों और संबद्ध प्रबंधनों द्वारा किया जाना है। सरकार घाटा उठाने वाले सभी उद्यमों के कार्य-निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा कर रही है। और उद्यम-विशेष की आवश्यकता के अनुसार सुधारात्मक कार्य किए जा रहे हैं।

(ग) विविध सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यमों में सतर्कता तंत्र जैसी सांस्थानिक व्यवस्था पहले से की जा चुकी है और इन्हें उद्यमों के प्रबंधन में भ्रष्टाचार और कदाचारों के मामलों, यदि कोई हो, को रोकने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये कृतिक बल

*347. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
श्री राम जेठमलानी:

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये एक कृतिक बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कृतिक बल को क्या-क्या जिम्मेदारियां और कौन-कौन से क्षेत्र सौंपे गये हैं;

(ग) क्या इस कृतिक बल द्वारा अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) क्या कृतिक बल ने सरकार को कोई प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या सिफारिशें की गयी हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

Reciprocity regarding visa fees with the foreign missions

*348. CHOWDHRY HARI SINGH:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any reciprocity is maintained between Indian Missions abroad and the Foreign Missions in India with regard to collection of visa fees;

(b) if so, what are the broad features of the systems followed and the details of reciprocity maintained with different countries; and

(c) whether in case of rejection of applications certain foreign missions do not refund the full fee charged in advance, if so, the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R.L. BHATIA): .(a) and (b) With effect from 12.12.91 a uniform visa fee schedule has been introduced applicable to all foreign nationals with the exception of those countries with which there are bilateral arrangements governing visas.

(c) The information is being collected.

*349. *[Transferred to 22nd December, 1992].*

गुजरात में फालतू भूमि का वितरण

*350. **श्री राम सिंह राठवा:**
श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में फालतू भूमि का वितरण कार्य अदालती मुकदमों के कारण सम्पन्न नहीं हो पा रहा है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार को